IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रभाषा हिन्दी:दशा व दिशा

डॉ. नीलिमा दुबे
एशोसिएट प्रोफेसर-हिन्दी विभाग
न्यू होराइज़िन कॉलेज,बैंगलूरु

सार

स्वतंत्रता के ७४ सालों के बाद भी हमारे भारत देश की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि "राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है।" १९४७ में आज़ादी के समय भारत के पास न त्तो संविधान था न ही अंग्रेजी का विकल्प। अनेक प्रांतिय भाषाओं में से किसी एक को चुनना उस समय बडी चुनौति थी। यद्यपि हिन्दी दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों को छोडकर सारे भारत में बोली व समझी जाती थी तथापि राष्ट्र भाषा के रुप में हिन्दी पर एक मत नहीं बन पाया। फलत: आधिकारिक राजभाषा के रुप में हिन्दी एवं अंग्रेजी को रखा गया। आज भी ये राज भाषा है। राष्ट्र भाषा नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि ७४ वर्षों के बाद का भारत अलग सोच रखता है। देश राष्ट्र भाषा के नाम पर एक मन बना सकता है अगर भाषावाद के नाम पर कुछ लोग राजनैतिक रोटियां सेकना बंद कर दें। इस आलेख के माध्यम से हम इस मत पर विचार करेंगे कि किस प्रकार अनेक भाषाओं के मध्य हिन्दी राष्ट्र भाषा क स्थान प्राप्त करने में सक्षम है।

राष्ट्र क्या होता है? क्या यह केवल एक स्थान पर रहने वाले लोगों और उसकी भौगोलिक सीमाओं का नाम है? ऐसा कदापि नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में किसी भी देश की अपनी पहचान होती है। राष्ट्रध्वज, गान, राष्ट्रचिन्ह, राष्ट्र भाषा और साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, रस रीती,पर्व-त्यौहार, ये सब इसी क्रम में आते हैं। ये सब तत्व मिलकर ही किसी भूखंड को और उसमें रहने वाली जनजाती को 'राष्ट्र' के सूत्र में पिरोते हैं। इसी संदर्भ में जब हम भारत को देखते हैं तो स्पष्ट है कि भारतीय गणराज्य राष्ट्र कहलाने के समस्त मानदंडों को पूरा करता है। फिर क्यों हम अपने राष्ट्र को एक भाषा के मापदंड से दूर रकना चाहते हैं?

महात्मा गांधी ने कहा था कि "राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है"

जब भारतीय गणराज्य राष्ट्रीयध्वज से लेकर राष्ट्रीय पर्व सुनिश्चित कर सकते है तो राष्ट्र को उसकी वाणी देने के लिए अब एक सोच और पहल होनी चाहिए। मेरे कुछ साथी कह सकते हैं कि जब हम बिना राष्ट्र भाषा के ७४ साल निकाल सकते हैं,आगे भी काम चल सकता है। इसकी आवश्यक्ता पर अनेक प्रश्न खडे किये जा सकते हैं।

संविधान में जब २२ भाषाओं को भारतीय भाषा होने का अधिकार प्राप्त है उनमें से किसी एक को राष्ट्र की भाषा के पद बिठाने की बात पर अन्य भाषा भाषियों को ठेस पहुंचेगी ऐसा दुष्प्रचार हो सकता है भाषा की संवेदनशीलता की अग्नि पर कुछ लोग अपने स्वार्थ कुछ समय के सिद्ध कर सकते हैं, परंतु इसके दूरगामी परिणाम अखंड भारत के लिए दुर्भाग्य ही साबित होगें।

मेरे देशवासियों को आज सजगता से समझना और समझाना होगा कि आज का भारत किन्हीं रियासतों या भूखंडों मे बंटा हुआ देश नहीं है।भौगोलिक दृष्टि से अनेक राज्य मिलकर एक भारतीय गणराज्य की स्थापना करते हैं।जहां क्षेत्रिय भाषाओं की अनिवार्यताओं के विषय में कोई दो राय नहीं है, परंतु इतने विशाल राष्ट्र के हर जन को, हर मन को और राज्यों को हर राज्य को जोडने के लिए एक मात्र संपर्क सूत्र चाहिए। वह कार्य राष्ट्र भाषा ही कर सकती है।इसी राष्ट्र भाषा का प्रयोग विश्वस्तर पर एक सुगम संप्रेषण यानि ( ) बन सकता है।

हमें याद रखना होगा कि हम सब "विश्व ग्राम" की सच्चाई में जी रहे हैं। जहां चीन के वुहान से निकला एक वायरस मेरे और आपके घरों में जानलेवा पकड बना चुका है। ऐसी दशा में राष्ट्र के भीतर तो छोडिए देशों के मध्य संपर्क भाषा की बात हो रही है।

ऐसे परिदृश्य में वही टिक सकेगा जिसकी जडें जमीन में गहरी बैठी होंगी। जिसके पास उधार या गुलामी की सौगात नहीं, वरन अपनी मिट्टी की पहचान होगी।

यही सही समय है जब भारत अपनी ही माटी से उपजी राष्ट्र भाषा भारतीय गणरज्यों को बेहतरी से समझने के लिए विश्व को सौपे। जिसमें पूरे राष्ट्र को एक ही अर्थ में समझा जा सके, न कि अन्य देश अपने स्वार्थ के अनुसार भारत की वाणी के अनेक अर्थ निकालकर फिर हम भारतीयों को भाषा और प्रांत के नाम पर आपस में दुशमन बना दें।

अगर हम सामान्य हालातों की भी बात करें तो एक समय में हम अंग्रेजी सहित २२ भाषाओं को परोसते हैं। एक या दो महिने की अवधि में पूरे भारत मे घूमने और समझने आये के लिए पर्यटक एक सामान्य बोली व समझी जाने वाली भाषाको ढूंढता है। जिसका प्रयोग वह प्रवास के दौरान कर सके। ऐसी स्थिति का हल भारत को एक राष्ट्र भाषा के रूप में देना ही चाहिए।

अगर आज का भारत आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया की संभावनाओं की ओर बढ रहा है तो हमें एक राष्ट्र, एक भाषा के बारे में सोचना होगा।

ऐसी स्थिति विचारणीय है कि कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनने योग्य है । उसके लक्षण हैं-

- जो पूरे देश में बोली , समझी , लिखी उअर पढी जा सकती हो।
- जिससे राष्ट्रीय एकता अंतराष्ट्रीय संवाद की आवश्यकता की पूर्ती की जासके ।
- राष्ट्र भाषा किसी देश की स्वभाषा ही हो सकती है। क्योंकि उसी के साथ आम जनता का भावनात्मक लगाव होता है। जो उस राष्ट्र के नागरिकों में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना का विकास कर पाने में सक्षम होता है।

इस दृष्टि से संविधान में स्थान प्राप्त २२ भाषाओं में से हिन्दी ही क्यों उपर्युक्त है इसके कुछ तथ्य इस प्रकार हैं-

- सन २००१ की जनगणना के अनुसार २५.७९ करोड भारतीय हिन्दी का उपयोग मातृभाषा के रुप में करते हैं। जबकी ४२.२० करोड लोग इसकी ५० से अधिक बोलियों में से किसी एक का इस्तेमाल करते है। १९९८ के पहले मातृभाषियों की संख्या के आधार पर विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में यह तीसरे स्थान पर है।
- हिन्दी आज पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से उडिसा व असम तक इसे समझा और बोला जाता है।

- अलग अलग भाषाओं में अंग्रेजों से लड रहा भारत हमेशा कुचला गया, परंतु १९ वीं सदी का भारत हिन्दी भाषा के साथ विद्रोह कर हर आंदोलन से जुडा तभी हम गुलामी से मुक्त हो सके थे।
- १८०६ में सी.टी.मेटकाफ ने अपने शिक्षा गुरु जॉन गिल्क्राईस्ट को लिखा था – "भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पडा । कलकत्ता से लाहौर, कुमाऊ के पहाडों से नर्मदा की नदी तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है।मैं कन्या कुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा कर सकता हूं कि मुझे हर जगह कुछ ऐसे लोग मिल जायेंगे जो हिन्दी बोल लेते होगें"
- हिन्दी भाषा का संबंध राष्ट्रीय एकता से भी है। १८७५ में केशव चंद्र ने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था "राष्ट्रीय एकता कैसे हो" जिसमें उन्होंने लिखा था कि- उपाय है कि सारे भारत में एक भाषा का व्यवहार हो। अभी जितनी भाषाएं प्रचलित हैं उनमें हिन्दी का प्रचलन सबसे अधिक है। इसे ही देश की भाषा बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए।

वर्तमान समय में भी यह हमारे देश की राजभाषा है। इसका अपना इतिहास है, साहित्य है। हिन्दी भाषा का शब्दकोश बहुत बडा है। मानक शब्दावली है।तकनीक दृष्टि से भी इसका उपयोग सुगम्य है।देश के हर राज्य में इसका प्रयोग करने वाले भारतीय मौजूद हैं, अत: हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनने की पूर्ण सामर्थ्य है।

हिन्दी राष्ट्र भाषा दर्जा देने का यह अर्थ कभी नही लगाया जाना चाहीए कि अन्य संवैधानिक भारतीय भाषाओं का स्तर या दर्जा किसी भी प्रकार से कम होगा।

प्रांतिय भाषाओं के विकास, महत्व और सम्मान अपने स्थान पर बढेगे। न उनके अवसर कम होंगे, परंतु राष्ट्र भाषा हिन्दी एक भारत-श्रेष्ठ भारत को अखंड रखने में महत्वपूर्ण योगदान देगी , मेरा यह विश्वास है।

संदर्भ ग्रंथ- १ हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल

२ हिन्दी भाषा : डॉ. हरदेव बाहरी

३ हिन्दी का इतिहास : डॉ. नगेन्द्र, डॉ. हरदयाल

४ हिन्दी साहित्य कोश : डॉ. धीरेन्द्र वर्मा

५ हिन्दी राष्ट्रभाषा की सार्थकता एवं उसके प्रेरक तत्वों का अध्ययन: नीरज

(http://ignited.in/l/a/78026)

६ राष्ट्रभाषा पर विचार : आचार्य चंद्रबली पांडेय

७ हिन्दी भाषा : डॉ. भोलानाथ तिवारी

८ हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप विकास- bharatdiscovry.org/india